

1968 १६९

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 1968/अग्रहायण 4, 1890

No. 447]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 1968/AGRAHAYANA 4, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1968

S.O. 4208.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby appoints the National Seeds Corporation Limited, a company registered under the Companies Act, 1956, (1 of 1956) as a Certification Agency for the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 4(17)/68-Seeds Dev.]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1968

एस० नो० 4209 :—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श के साथ

(1361)

केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है, उत्तर प्रदेश के लिए एक सर्टीफिकेशन एजेंसी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० ए० 4(17)/68-बीज विकास]

सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, संयुक्त सचिव।